हैं, किसी प्रकार की निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

राज्य/केन्द्रीय पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा उन्हें सौंपी गई प्रायोजनाओं के बाद में तय किए गए ठेकों के सम्बन्ध में, सूचना सहज प्राप्य नहीं है ।

(ग) अभी तक उक्त कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

Raising of Question of Nagaland in the U.N. General Assembly

8167. Shri Kanwar Lal Gupta:
Shri D. N. Deb:
Shri R. R. Singh Deo:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rebel Nagas are proposing to raise the question of Independent Nagaland in the United Nations General Assembly; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) The Govern- of India are aware that attempts, which proved unsuccessful, have been made in the past primarily by Phizo, a British citizen of Naga origion, assisted by Michael Scott also a British citizen, to interest members of the United Nations in discussing in that body the internal affairs of another member State. However, Government have no specific information that any such move is actually in operation.

(b) The Government of India's stand remains what it has always been, *viz.*, that Nagaland is an integral part of the Indian Union and no outside intervention will be tolerated.

Sale of Newsprint in Black Market in U.P.

8169. Shri Vidya Dhar Bajpai: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain small newspapers of Uttar Pradesh are getting newsprint quota by showing inflated figures of circulation and they are selling newsprint in blackmarket;

(b) if so, the quota of newsprint sanctioned to different newspapers of Uttar Pradesh; and

(c) the circulation of each of the said newspapers?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) Complaints of misuse of newsprint have been received in respect of 14 newspapers from Uttar Pradesh during the last five years. Investigations undertaken by the Registrar of Newspapers for India revealed that there was no discrepancy in the circulation of six newspapers, while the circulation of four newspapers was fixed at a lower figure without any evidence of misuse of newsprint. One case is still to be investigated, and one publisher had neither applied for newsprint nor submitted any circulation claim. Two newspapers have since ceased publication. Lists of newspapers whose circulation figures have been refixed as a result of investigations are given in Part I of the Annual Reports of the Registrar of Newspapers for India, copies of which are laid on the Table of the House. This information relates to discrepancies in circulation as district from misuse of newsprint.

(b) There are over 350 newspapers in Uttar Pradesh who have been allotted newsprint from year to year in accordance with the policy in vogue. The time and labour involved in compiling the information would not be commensurate with the results likely to be achieved.

(c) The circulation and other particulars of newspapers published in the country are given in Part II of the Annual Report of the Registrar of Newspapers for India. The Report for the year ending 31st December, 1966, will be laid on the Table of the House shortly.

पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों को पासपोर्ट देने संबंधी नियम

8170. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पाकिस्तान जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों को पासपोर्ट आदि देने के नियमों में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संशोधित नियमों के अनुसार तीर्थयात्रियों को अपने जाने की तारीख से कम से कम पांच महीने पहले अनुमति मांगनी होगी ;

(घ) इस विषय में अन्य राज्यों में क्या नियम हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का पांच महीने की इस अवधि को कम करने की वांछनीयता पर विचार करने का इरादा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ङ). भारत में हर वर्ष यात्री (ज्यादातर सिक्खों के जत्थे) कई मौकों पर पश्चिमी पाकिस्तान के पूजा और धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए जाते हैं । पाकिस्तान सरकार से यात्रा के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रबन्ध के बारे में लिखा-पढ़ी करने के बाद भारत सरकार ये यात्राएं करने देती है । पहले यात्री दलों का ब्यौरा देर से मिलने के कारण जल्दी-जल्दी में इन्तजाम करना पड़ता था जिसकी वजह से कभी-कभी यात्रियों को बड़ी असुविधा होती थी । पाकिस्तान सरकार ने हम से कहा था कि उन्हें यात्री दलों की यात्रा के विषय में काफी पहले सूचना मिलनी चाहिए ताकि वे समय से आवश्यक प्रबन्ध कर सकें । भारत सरकार ने इस मामले पर विचार किया और यात्रा सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से कहा गया कि वे यात्रा की तारीख से कम से कम चार महीने पहले यात्री दलों का पूरा ब्यौरा तथा उनकी यात्रा का प्रस्तावित कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया करें ।

दिल्ली प्रशासन ने 18 जुलाई, 1967 को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उसने कहा कि विभिन्न मौकों पर दल/जत्थे भेजने के प्रस्ताव पर काफी पहले पेश कर दिए जाने चाहिए और यात्रा की वास्तविक तारीख से 5 महीने पहले दिल्ली प्रशासन के पास भेज दिए जाने चाहिएं । इसी प्रेस नोट में उन्होंने यह भी कहा है कि यात्री दलों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि वे भारत-पाकिस्तान पासपोर्ट के लिए या उसके नवीकरण के लिए रवाना होने की तारीख से दो महीने पहले प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं ताकि दिल्ली प्रशासन सभी औपचारिकताएं पूरी कर सके और पासपोर्ट जारी कर सके या उनका नवीकरण कर सके ।

दूसरी राज्य सरकारें भी यात्रा पर जाने की इच्छा रखने वाले यात्री दलों से कह रही हैं कि वे अपना ब्यौरा काफ़ी समय पहले दिया करें । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन यात्राओं की तैयारियों में काफ़ी समय लगता है, सरकार इन अनिवार्यताओं को बदलना नहीं चाहती । ये कदम पिछले अनुभव के आधार पर उठाए गए हैं और इनका उद्देश्य यात्राओं को सुविधाजनक बनाना और भविष्य में उनकी अनुचित असुविधाओं की सम्भावनाओं को कम करना है ।